हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

कोर-6, द्वितीय मंजिल,
स्कोप काम्पलैक्स, लोदी रोड़,
नई दिल्ली- 110003

सं0सं0 1(18)/व्यक्तिश:आदेश/2017-हिन्दी

दिनांक:- 19.05.2017

ज्ञापन

राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 (यथा संशोधित, 1987) के नियम 10(4) के अंतर्गत रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रो रसायन विभाग द्वारा हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड, मुख्यालय को वर्ष 1981 में अधिसूचित किया गया था । इस अधिसूचना का अर्थ है कि एच.आई.एल. मुख्यालय के 80 प्रतिशत से अधिक कार्मिकों को (समूह 'घ' के कार्मिकों को छोड़कर) हिन्दी में काम करने में प्रवीणता प्राप्त है अथवा उन्हें हिन्दी में काम करने के लिए कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है । ऐसे अधिसूचित कार्यालयों में राजभाषा नियम 1976 के नियम 8(4) के अनुसार **हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना समस्त कार्यालयीन कार्य (टिप्पण, प्रारूपण इत्यादि) केवल हिन्दी में ही करना अपेक्षित है ।**

इस संबंध में संसदीय राजभाषा समिति की राजभाषा के प्रगामी प्रयोग से संबंधित निरीक्षण प्रश्नावली में भी निम्नलिखित सूचना देनी होती है :

- क्या उल्लिखित नियम के अंतर्गत आदेशित अधिकारी/ कर्मचारी अपना काम हिन्दी में कर रहे हैं ?
- यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है या की जानी प्रस्तावित है ?
- राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कोई मॉनिटरिंग व्यवस्था स्थापित की गई है ?

उल्लिखित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए तथा प्रधान कार्यालय की दिनांक 22.03.2017 को हुई राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार, हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को पुन: स्मरण कराया जाता है कि अपना समस्त कार्यालयीन कार्य (टिप्पण एवं प्रारूपण इत्यादि) हिन्दी में ही करना जारी रखें ।

एस.पी. मोहन्ती
(एस.पी. मोहन्ती)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

वितरण:

1. हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी (संलग्न सूची के अनुसार)
2. निदेशक (वित्त) का कार्यालय
3. सूचना पट्ट

HINDUSTAN INSECTICIDES LIMITED
(A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE)

PROTECT TO PROSPER

Core 6, 2nd Floor,
Scope Complex,
Lodhi Road,
New Delhi-110003

Ref. No. 1(18) Individual Orders/2016-Hindi

Dated: 19.05.2017

MEMORANDUM

The Head Office of the Hindustan Insecticides Limited was notified in 1981 by the Ministry of Chemical and Fertilizer, Department of Chemical and Petro Chemical under the rule 8(4) of the Official Language (use for official purpose of the Union) Rules, 1976. This notification means that more than 80% of employees of the Head Office (Group "D" excluded) possess proficiency in Hindi or they have working knowledge in Hindi. Under the Official Language Rules, 1976, according to Rules 8(4), all notified employees are required to do their official work (noting and drafting etc.) in Hindi only.

In this regard, the following information has to be given in the Inspection Questionnaire of the Parliamentary Committee:

- Whether the officers/employees ordered under the above Rule are doing their work in Hindi?
- If not, what action is being taken or proposed to be taken?
- Whether any monitoring arrangement has been made to ensure the compliance of Rule 8(4) of Official Language Rules, 1976?

Keeping in view of the provisions set forth possess and the decision taken in the meeting of official implementation committee of the Head Office held on 22.03.2017, all the notified officers/staff are again reminded that all their official work (noting and drafting etc.) to be done in Hindi.

(S.P. Mohanty)
Chairman and Managing Director

Distribution:
1. All notified Employees (as per list enclosed)
2. P.S. to Director (Finance) – for information
3. Notice Board